

पंद्रहवीं लोकसभा में विपक्ष की भूमिका

Ashish Kumar

(Ph.D) PGT GSSS MOHARI Bhano Kheri (Ambala) (India)

ARTICLE DETAILS

Article History

Published Online: 13 March 2019

Keywords

विपक्ष, 2जी स्पैक्ट्रम, राष्ट्रमण्डल, सिविल सोसायटी।

ABSTRACT

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज लोकतान्त्रिक व्यवस्था राजनीतिक दल रूपी पहियों के ऊपर ही गतिमान होती है। अब चुनावी मौसम चल रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश भारत अपने 17वीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। 1952 के प्रथम आम चुनाव से आज तक के समय में भारतीय लोकतान्त्रिक प्रणाली मजबूत हुई है जिसमें सबसे अधिक योगदान राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों का है। वैसे तो भारत में द्विदलीय प्रणाली नहीं है फिर भी विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। 15 वीं लोकसभा खास रही इसकी वजह इस लोकसभा में हुए घोटाले थे। 2जी स्पैक्ट्रम राष्ट्रमण्डल खेल घोटाला, कोल आवंटन आदि इन सभी मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार पर अपना आक्रमक रूप रखा और लगातार सरकार पर दबाव बनाया। मेरे इस शोध पत्र का उद्देश्य 15 वीं लोकसभा में विपक्ष की कार्यशैली को अध्ययन करना है।

पंद्रहवीं लोकसभा में विपक्ष ने सरकार को अनेक मुद्दों पर घेरा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार का था, क्योंकि पंद्रहवीं लोकसभा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा हुआ और फिर उनके विरोध में अन्ना आन्दोलन हुआ। विपक्ष की तरफ से सदन में भ्रष्टाचार के ऊपर मुरली मनोहर जोशी, श्रीमती सुषमा स्वराज व अन्य सहयोगी दलों के नेताओं ने तथ्यों सहित एक तार्किक बहस की और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। 15 वीं लोकसभा में विपक्ष की भ्रष्टाचार के ऊपर जो सबसे बड़ी कारवाई रही वह उसने सदन के अन्दर घोटालों को उठाकर उनके ऊपर समितियों का गठन करवाया, जाँच करवाई और बाद में उनका पर्दाफास किया। विपक्ष ने घोटालों को जन – जन तक पहुँचाया जिससे जनता में रोष पैदा हुआ और उसी रोष से सिविल सोसायटी के माध्यम से एक इतना बड़ा जन-आन्दोलन खड़ा करने में सफलता प्राप्त की।

पंद्रहवीं लोकसभा के दौरान वैसे तो कई घोटाले उजागर हुए जिसमें 2 जी स्पैक्ट्रम, घोटाले राष्ट्रमण्डल खेलों में भ्रष्टाचार, फ्रैग की भूमिका आदि में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। विपक्ष ने सरकार व उसके सहयोगियों द्वारा स्पैक्ट्रम आवंटन में बरती गई अनियमितताओं को उजागर कर देश के सरकारी खजाने को हुए अनुमानित घोर को जनता के सामने पेश किया। विपक्ष ने रजी स्पैक्ट्रम घोटाले की जाँच करवाने के लिए जे. पी. सी. का गठन करवाया। केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा को जेल पहुँचाया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा जमा करवाना पड़ा। हाँ यह बात जरूर है कि आज तक यह तो तय नहीं हो पाया है कि घोटाला हुआ भी या नहीं। जैसा कि सरकार कह रही थी कि यह अनुमानित घोटाला है ना कि सही परन्तु विपक्ष के कारण ही रजी स्पैक्ट्रम के आवंटन में अपनाई गई

अनियमितताओं कुछ चहेती कंपनियों को गलत तरीके से लाभ पहुँचाना और लाइसेंस आवंटन से दूरसंचार मंत्री द्वारा की गई मनमानी को उजागर कर लाया जा सके विपक्ष की वजह से ही दोषी जेल में जा सकें इस प्रकार 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले पर विपक्ष ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राष्ट्रमण्डल खेलों में घोटाला :-

राष्ट्रमण्डल खेलों के आयोजन की तैयारियों को लेकर जो बजट बनाया गया या उस रूपये का दुरुपयोग और कम कीमतों की वस्तुओं को अधिक कीमतों पर खरीदने का मामला है। विपक्ष शुरू से ही इन खेलों के आयोग पर अपनी नजर रखे हुए था। विपक्षी दलों को शुकआत से ही दो बातों को लेकर आपत्ति थी। एक तो इस बात को लेकर थी दिल्ली के संवारने पर जो खर्च किया जा रहा था विपक्ष विपक्ष उससे खुश नहीं था विपक्ष इस बात पर अडा हुआ कि इस देश में गरीब, किसान व अन्य वर्गों की बहुत सारी समस्याएँ हैं, ये पैसा उन समस्याओं को दूर करने के लिए खर्च किया जाना चाहिए। जबकि सरकार यह तर्क दे रही थी कि यह भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गौरव की बात है। दूसरी समस्या जो विपक्ष ने उठाई वह यह है कि खिलाड़ियों को जो सुविधाएँ दी जा रही हैं उनके लिए विपक्ष बार-बार सरकार को निशाने पर ले रहा था। विपक्षी दल ने सदन के अन्दर अलग-अलग नियमों के तहत सरकार को चर्चा के लिए विवश किया जिसके कारण सरकार में भय पैदा हुआ। विपक्ष की वजह से ही सुरेश कलमाड़ी जेल जा सके। विपक्ष ने सदन के अन्दर लोकपाल बिल के ऊपर अनेक सुझाव रखे जैसे प्रधानमंत्री की लोकपाल के दायरे में लाना और एक मजबूत लोकपाल बनाना। सदन के अन्दर जहाँ सिविल सोसाइटी के लोगों की पहुँच नहीं होती वहीं विपक्ष ने ही जनता की आवाज उठाई और सरकार को उन प्रावधानों के लिए मजबूर किया जिसका जनता चाहती थी

। विपक्ष ने जनता तक सरकार की उन कमजोरियों को पहुँचाया जिसको सरकार छिपाना चाहती थी।

पंद्रहवीं लोकसभा में भी सरकार पर अनेक बार आरोप लगा कि वह इन लोकतान्त्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। सी. बी. आई. केग आदि की भूमिका को लेकर विपक्ष ने हमेशा सरकार को घेरे रखा। इसके अलावा न्यायपालिका चुनाव आयोग आदि में भी सुधार के लिए विपक्ष ने जो भूमिका निभाई उसका अवलोकन करने करने से यही बात सामने आती है कि सरकारी पक्ष जो इस जाँच ऐजेंसी का दुरुपयोग कर रहा था। उस मामले को विपक्ष जनता और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं तक ले गया। पंद्रहवीं लोकसभा के दौरान बहुत से घोटालों को उजागर किया गया। उनको उजागर करने में कैंग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले में भी सबसे पहले कैंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि स्पैक्ट्रम के आवंटन से देश को अरबों रूपए के राजस्व का नुकसान हुआ। पंद्रहवीं लोकसभा में विपक्ष ने चुनाव सुधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि एक स्पष्ट लोकतन्त्र, स्पष्ट चुनाव प्रक्रिया पर ही टिक सकता है। चुनाव प्रक्रिया में समय-समय पर समस्याएँ और कमियाँ आती रहती हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्ता के मुद्दे पर भी विपक्ष ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोकपाल पर चर्चा के दौरान अनेक सदस्यों ने सुझाव दिए कि न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे के अन्दर लाना चाहिए, जबकि सरकार जूसूडिशियल ऐकाउटेबिलिटी बिल ला रही थी, जिसमें अन्य सुझावों को भी शामिल करने की बात की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की माँग कर रहा था। लेकिन इसे विपक्ष की असफलता नहीं कहेंगे क्योंकि विपक्ष ने एक तरीके से कॉलिजियम व्यवस्था को चैलेंज किया। विपक्ष की वजह से ही लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या जजों द्वारा जजों की नियुक्ति सही है या नहीं।

विपक्ष ने एक तरीके से लोगों में न्यायपालिका के प्रति सुधार के लिए चेतना पैदा कर दी। यही विपक्ष की रचनात्मक भूमिका है। सामाजिक सुधार पर भी विपक्ष ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि समाज और राजनीति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

सभी सामाजिक मुद्दों में आरक्षण से छोड़छाड़ की गई तब ही विपक्ष ने इसे सदन के सामने रखा और इसकी रक्षा की। पंद्रहवीं लोकसभा के दौरान अनेक बार विपक्ष के सदस्यों ने वंचित वर्गों के लिए आरक्षण किए जाने की माँग की हांलाकि कई जगह विपक्ष का उद्देश्य आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक जमीन तलाशने का था लेकिन फिर भी यह प्रतीत होता है कि विपक्ष के दबाव के बिना आरक्षण की सुरक्षा करना बहुत मुश्किल था।

निष्कर्ष :-

पंद्रहवीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा निभाई गई भूमिका के अययन के बाद यही निष्कर्ष सामने आता है कि लोकतन्त्र में विपक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्ययन के बाद एक ओर बात सामने आती है कि 15 वीं लोकसभा के समय ही अन्ना जी के नेतृत्व में एक जन आन्दोलन हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि सामाजिक कार्यकर्ता और सिविल सोसायटी ही भारत में विपक्ष का काम कर रही है परन्तु एक आन्दोलन और विपक्षी दल की प्रकृति बिल्कुल अलग-अलग होती है। अगर विपक्ष संसद के अन्दर भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर पाता तो सिविल सोसायटी लोकपाल के लिए जनमत तैयार नहीं कर पाती। इसके अलावा सदन के अन्दर सिविल सोसायटी के सदस्यों की पहुँच नहीं होती वहाँ विपक्ष ने ही जनता की आवाज उठाई। विपक्ष ने ही सरकार को उन प्रावधानों को शामिल करने के लिए मजबूर किया जिनको जनता चाहती थी। इस प्रकार जहाँ सिविल सोसायटी जनता के हितों के लिए सदन के बाहर लड़ाई कर रही थी वहीं विपक्ष सदन के अन्दर जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहा था। इसके अलावा भी विपक्ष ने एक उच्छे विपक्ष की तरह भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरकर केन्द्रीय मन्त्रियों और बड़े-बड़े अधिकारियों को जेल करवाई। संवैधानिक दायरे में रहते हुए विपक्ष ने सरकार को मनमानी करने से रोका और अनेक मुद्दों पर जनता का मन जीतकर अगले लोकसभा चुनाव के लिए जनयत अपने पक्ष में करने में कामयाबी हासिल की। यह विपक्ष की बहुत बड़ी जीत थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंद्रहवीं लोकसभा में विपक्ष ने बहुत ही रचनात्मक भूमिका निभाई।